न्यायालयः–कु. सीमा जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेण्ड्रारोड, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)	
	निर्णय दिनाँक– 24.02.2025 दां0 प्र 0 क्र–839/2023 अपराध क्रमांक–271/2023 थाना–गौरेला
अभियोजन	छ 0 ग 0 राज्य द्वाराः–थाना–गौरेला, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ 0 ग 0)
अभियोजन द्वारा	कु. सुचिता सिंह ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	सेवकराम श्रीवास्तव पिता–अंबिका प्रसाद उम्र–50 वर्ष, साकिन–खोडरी पठापारा थाना–गौरेला, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)
अभियुक्त द्वारा	श्रीमती शैल नामदेव अधिवक्ता।

घटना दिनाँक	23.07.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक	23.07.2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनाँक	16.08.2023
आरोप विरचित दिनाँक	19.03.2024
साक्ष्य प्रारंभ दिनाँक	13.06.2024
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथि	24.02.2025
निर्णय दिनाँक	24.02.2025
दण्डादेश दिनाँक, यदि हो तो	–

अभियुक्त का विवरण

क्र	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनाँक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	दण्डादेश	धारा–428 द.प्र.सं. के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा अवधि
1	**सेवकराम श्रीवास्तव**	23.07.23	23.07.23	34 (1) (क) **छ.ग. आबकारी अधि.**	**दोषमुक्त**	–	**निरंक**

अनुक्रमणिका

क्र.	**विवरण**	**पृष्ठ क्रमाँक**
01	निर्णय का शीर्षक	01
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
03	आरोप	03
04	स्वीकृत तथ्य	03
05	अभियोजन की कहानी	03–04
06	सकारण निष्कर्ष	06–14
07	दण्डादेश	–
08	संपत्ति का निराकरण	14
09	धारा–428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	16
10	निर्णय की प्रति	01–16

–// निर्णय //–
(आज दिनांक 24.02.2025 को घोषित)

01– अभियुक्त के विरूद्व **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)** के अन्तर्गत यह आरोप है कि दिनाँक 23.07.2023 को समय 19.45 बजे, स्थान–खोडरी पठापारा थाना–गौरेला जिला–गौ०पे०म० छ०ग० स्थित क्षेत्रांतर्गत एक पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन में लगभग 03 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 300/– रूपये, 02 नग स्टील ग्लास एवं बिक्री रकम 100 रूपये बिना किसी वैध दस्तावेज के आपके आधिपत्य में बिक्री प्रयोजनार्थ रखा पाया गया ।

02– प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत एवं निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03– अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनाँक 23.07.2023 को हमराह आरक्षक 105 नरेश कैवर्त, 106 हर्ष सिंह, 197 अशोक यादव के साथ लेकर ग्राम भ्रमण अवैध शराब की कार्यवाही करने हेतु शासकीय वाहन से रवाना हुए थे कि ग्राम–खोडरी में इंदिरा चौक के पास मुखबीर से सूचना मिली कि सेवक राम श्रीवास्तव उर्फ मुन्ना अपने घर के पास महुआ से बनी कच्ची शराब

रखकर लोगों को बिक्री कर रहा है उक्त सूचना पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया गया तथा रेड कार्यवाही हेतु तलब करने धारा-160 जाफौ का नोटिस जारी कर गवाह लाल चंद जैन एवं राजेश कुमार पनरिया को तामिल कराया तथा उनके साथ जाकर सेवकराम श्रीवास्तव के घर के पास रेड कार्यवाही किया तो सेवकराम अपने घर के पास एक 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की प्लास्टिक डिब्बा में भरा 03 लीटर कीमती 300/- रूपये, एक नग शराब गंध युक्त स्टील ग्लास एवं बिक्री रकम 50 रूपये के दो नोट मिला जिनसे शराब बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया ।

04- अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि बरामद शराब की पहचान कार्यवाही कर पंचनामा तैयार किया बरामद शराब को महुआ से बनी कच्ची शराब का होना पाये जाने से उसे धारा-91 जाफौ का नोटिस दिया गया । आरोपी ने अपने पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होना उल्लेख किया गया । आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

05– आरोपी को उसके विरूद्ध **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)** के तहत अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर, सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा । उसके अभिवाक् लेखबद्ध किये गये ।

06– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध **धारा–313 सहपठित धारा–281 द.प्र.सं.** के अन्तर्गत अभियुक्त कथन निर्मित किया जाकर पूछे जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया ।

07– प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है:–

I. क्या, अभियुक्त से दिनाँक 23.07.2023 को समय 19.45 बजे, स्थान–खोडरी पठापारा थाना–गौरेला जिला–गौ०पे०म० छ०ग० स्थित क्षेत्रांतर्गत एक पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन में लगभग 03 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 300/– रूपये, 02 नग स्टील ग्लास एवं बिक्री रकम 100 रूपये बिना किसी वैध दस्तावेज के उसके आधिपत्य में बिक्री प्रयोजनार्थ रखा पाया गया ?

II. दोषमुक्ति या दोषसिद्धी ?

–विचारणीय प्रश्न क्र. I एवं II का सकारण निष्कर्ष–

08– उपरोक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में के०एल० वानी (अ०सा०–01), लालचंद जैन (अ०सा०–02) एवं जयनारायण केशरवानी (अ०सा०–03) का न्यायालय के समक्ष साक्ष्य कराया गया ।

09– **विवेचना अधिकारी के०एल० वानी सहायक उपनिरीक्षक (अ०सा०–01)** ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि, उसकी पदास्थापना के दौरान दिनांक 27.07.2023 को मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम खोडरी में इंदिरा चौक के पास सेवक राम श्रीवास्तव अपने घर के पास कच्ची महुआ शराब रखकर विक्रय किया जा रहा है । उक्त सूचना के आधार पर उसके द्वारा रेड कार्यवाही हेतु गवाह लालचंद जैन और जयनारायण केशरवानी को धारा–160 जाफौ का नोटिस देकर गवाहों एवं हमराह स्टाफ के साथ घटना स्थल गये मुखबीर सूचना पंचनामा प्रपी–01 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । धारा–160 का नोटिस प्रपी–02 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

10– इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि, विवेचना के दौरान घटना स्थल पर पहुँचकर आरोपी के घर के पास पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम सेवकराम श्रीवास्तव बताया जो अपने घर में एक पांच लीटर क्षमतावाले पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में भरा हुआ कच्ची महुआ शराब मात्रा 03 लीटर जिसकी कीमत 300/– रूपये, एक नग शराब गंधयुक्त स्टील ग्लास एवं शराब बिक्री रकम 50–50 रपये के दो नोट कुल 100/– रूपये मिला था जिसपर आरोपी को मौके पर ही उसके द्वारा बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रपी–03 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है और ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । मौके पर शराब पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रपी–04 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है और ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । उक्त सामग्री के संबंध में धारा–91 जाफौ के तहत वैध दस्तावेज की मांग की गयी थी जो प्रपी–05 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है ।

11– इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि विवेचना के दौरान मौके पर ही उसके द्वारा उक्त सामग्री को जप्त किया गया था जप्ती पत्रक प्रपी–06 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है और ब से ब भाग पर

आरोपी के हस्ताक्षर है । मौके पर ही साक्षीगण लालचंद जैन एवं जयनारायण केशरवानी का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया । अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को साक्षियों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–07 है, जिसके अ से अ और ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है । मौके पर उसके द्वारा देहाती नालसी तैयार किया गया था जो प्रपी–08 है तथा मौके पर नजरी नक्शा प्रपी–09 तैयार किया गया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उक्त कार्यवाही के संबंध में उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक 04 समय 17.00 बजे रवानगी दर्ज की गयी थी । थाना वापस आकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 06 समय 23.55 बजे दर्ज की गयी थी । रोजनामचा सान्हा की सत्यापित नकल प्रपी–10 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

12– इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि विवेचना के दौरान दिनाँक 24.07.2023 शराब मुलाहिजा हेतु उपनिरीक्षक आबकारी विभाग को आवेदन दिया गया था जो प्रपी–11 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । विवेचना के दौरान **अपराध क्रमांक 271/23 धारा–34(1)(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम** के तहत प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्रेमशंकर खुटिया सब इंस्पेक्टर के द्वारा दर्ज किया गया था जिसके हस्ताक्षर को वह भलिभांति पहचानता है । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–12 है जिसके अ से अ भाग पर प्रेमशंकर के हस्ताक्षर है । विवेचना के दौरान बिना नंबरी देहाती नालसी आरक्षक नरेश कैवर्त के द्वारा पेश किया गया है । जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया था । आरक्षक क्रमांक 105 नरेश कैवर्त के हस्ताक्षर को वह भलिभांति पहचानता है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

13– प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि देहाती नालसी में उसने घटना स्थल का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । प्रपी–02 में अपराध धारा, दिनाँक एवं स्थान तथा शराब पंचनामा में भी स्थान, दिनाँक का उल्लेख नहीं है तथा जप्ती पत्रक प्रपी–06 पर आरोपी से कहां पर सामान की जप्ती हुई उसका उल्लेख स्पष्ट नहीं है । यह भी स्वीकार किया गया है कि जप्ती पत्रक प्रपी–06 में सीलबंद के संबंध में सील नमूना नहीं लगाया है । प्रकरण में उसके द्वारा जप्ती रजिस्टर का छायाप्रति संलग्न नहीं किया गया है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि घटना का नजरी नक्शा उसके द्वारा थाना में बैठकर बनाया गया है तथा गवाहों का कथन थाना में बैठकर अपने मन से लेखबद्ध किया है । यह

अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा शराब मुलाहिजा का जांच रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार किया गया है तथा संपूर्ण कार्यवाही थाना में बैठकर की गयी है।

14— **लालचंद जैन (अ०सा०—02) एवं जयनारायण केशरवानी (अ०सा०—03)** ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उनके समक्ष पुलिस वालों ने आरोपी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। पुलिस वालों के कहने पर उन्होंने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी लालचंद जैन का मुखबीर सूचना पंचनामा प्रपी—01, धारा—160 का नोटिस प्रपी—02, बरामदगी पंचनामा प्रपी—03 एवं नजरी नक्शा प्रपी—09 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शराब पहचान पंचनामा प्रपी—04, धारा—91 का नोटिस प्रपी—05, जप्ती पत्रक प्रपी—06, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—07 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी जयनारायण केशरवानी का नजरी नक्शा प्रपी—09, मुखबीर सूचना पंचनामा प्रपी—01, धारा—160 का नोटिस प्रपी—02 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं बरामदगी पंचनामा प्रपी—03, शराब पंचनामा प्रपी—04, धारा—91 का नोटिस प्रपी—05, जप्ती पत्रक प्रपी—06, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—07 के द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

15– प्रकरण में उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया है कि उनके समक्ष आरोपी के कब्जे से दिनाँक 23.07.2023 को एक 05 लीटर क्षमता वाले पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बा में जिसमें 03 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा था एवं एवं एक स्टील का गिलास, शराब बिक्री रकम 100/– रूपये जप्त किया गया था। लालचंद जैन (अ०सा०–02) ने इस बात से भी इंकार किया गया है कि पुलिस वालों को ऐसा बयान दिया था जिसमें यह बात बताई थी कि आरोपी के कब्जे से महुआ से बना शराब रखकर लोगों को बिक्री कर रहा है जिसके रेड कार्यवाही में वह पुलिस वालों के साथ आरोपी के घर गया था। इस साक्षी ने आरोपी को पुलिस वालों के द्वारा उसके समक्ष गिरफ्तार किये जाने के कथन को अस्वीकार किया है।

16– इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में दस्तावेज में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्षियों के साक्ष्य के विवेचना एवं विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य में उनके समक्ष आरोपी से कथित महुआ शराब जप्त होने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया गया है। प्रकरण में शराब परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उचित निष्कर्ष नहीं निकाला

जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देती है।

17– प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि के०एल० वानी सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर स्वयं हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर घटना स्थल रवाना हो गया। के०एल० वानी द्वारा रेड कार्यवाही कर जप्तशुदा शराब को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–06 तैयार किया गया । के०एल० वानी द्वारा ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–07 तैयार किया गया। इसी के द्वारा गवाहों के कथन लेखबद्ध किया गया। प्रेमशंकर खुटिया सब इंसपेक्टर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया था । प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना स्वयं कायमीकर्ता के०एल० वानी द्वारा की गई। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा कथन किया गया कि आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा उनके समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

18– उपरोक्तानुसार विवेचना एवं अपराध कायमी की संपूर्ण कार्यवाही के०एल० वानी द्वारा किया जाना दर्शित है जिसे स्वतंत्र साक्षीगणों द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः संपूर्ण विवेचना कार्यवाही

दूषित दर्शित होती है। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा सम्पत्ति को मौके पर सीलबंद किये जाने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर है। जप्तशुदा सम्पत्ति को मौके पर सीलबंद नहीं किया जाना अन्वेषण कार्यवाही में हुई विसंगति को दर्शित करता है। जप्तशुदा सम्पत्ति कथित घटना स्थल पर जप्ती किये जाने के उपरांत एवं थाना वापस आने के उपरांत थाने के मालखाने में किस सरल क्रमांक पर जमा करायी गई, इस संबंध में भी अभियोग पत्र के साथ कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण उपरांत यह युक्ति–युक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त से जप्तशुदा कच्ची महुआ शराब की जप्ती हुई थी।

19– दण्ड विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है चाहे बचाव पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत ना किया जाये या बचाव की सभी साक्ष्य अमान्य कर दिये जाये। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध

अधिरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है।

20– अतः निर्णय अनुसार **अभियुक्त–सेवकराम श्रीवास्तव पिता–अंबिका प्रसाद उम्र–50 वर्ष, साकिन–खोडरी पठापारा, थाना–गौरेला, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)** को **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा–34(1)(क) के** आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है ।

21– प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की स्थिति में 03.00 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा एक स्टील का गिलास मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे एवं जप्तशुदा शराब बिक्री रकम 100/–रूपये को शासन के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकृत किया जावे ।

22– अभियुक्त के पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र **धारा–437 (ए) दं0 प्र0 सं0** के अंतर्गत निर्णय दिनांक से आगामी 6 माह तक प्रवृत्त रहेंगे, उसके पश्चात् निरस्त किया जावे।

23– इस प्रकरण में अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में पृथक से **धारा–428 दं0प्र0सं0** का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,

दिनांकित कर घोषित किया गया। **मेरे निर्देशन पर टंकित।**

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.02.25 18:22:28 +0530

(कु. सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड (छ0ग0)

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.02.25 18:22:38 +0530

(कु. सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड (छ0ग0)

स्थान–पेण्डारोड (छ०ग०)
दिनांक–24.02.2025

–निरोध अवधि विवरण तालिका–
(धारा–428 द.प्र.सं.)

क्र	अभियुक्त का नाम/ पिता का नाम	गिरफ्तारी दिनाँक	न्यायिक अभिरक्षा दिनाँक	जमानत पर रिहा दिनाँक	न्यायिक अभिरक्षा की कुल अवधि जिसे समायोजित किया जाना है
1	सेवकराम श्रीवास्तव पिता– अंबिका प्रसाद उम्र–50 वर्ष, साकिन–खोडरी पठापारा थाना–गौरेला, जिला– गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)	23.07.23	निरंक	23.07.23	निरंक

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.02.25 18:22:16 +0530

(कु. सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड (छ0ग0)

स्थान–पेण्ड्रारोड (छ०ग०)
दिनांक–24.02.2025